

प्रेस नोट

थाना- मोठ

दिनांक – 18.06.2022

- 48 घण्टे के अन्दर हत्या की घटना का सफल अनावरण; हत्यारा गिरफ्तार
- हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल (चाकू) बरामद
- हत्या के बाद शव को झाड़ियों में फेंका
- वैज्ञानिकि साक्ष्यों, घटना स्थल के निरीक्षण व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से निर्दोष जेल जाने से बचे

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री भानु भास्कर, पुलिस उपमहानिरीक्षक झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री जोगेन्द्र कुमार एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री शिवहरी मीना महोदय के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री नेपाल सिंह, क्षेत्राधिकारी मोठ स्नेहा तिवारी के निकट परवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमाक गुप्ता मय पुलिस टीम थाना मोठ द्वारा मृतक रविकान्त अहिरवार की चाकू से वार कर गला काटकर निर्मम हत्या का सफल अनावरण करते हुए हत्या में संलिप्त हत्यारोपी को गिरफ्तार किया गया। हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल छुरी बरामद की गयी।

थाना मोठ क्षेत्रान्तर्गत मो. नेहरु नगर के पास झाड़ियों में मृतक रविकान्त अहिरवार पुत्र हर लाल निवासी मो0 नेहरु नगर कस्बा व थाना मोठ जनपद झाँसी उम्र करीब 28 वर्षीय व्यक्ति की हत्या की सूचना पर श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी द्वारा स्वयं घटना स्थल पर पहुँचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा मोहल्ला वासियों से जानकारी प्राप्त की गयी। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी मोठ महोदय के नेतृत्व में थाना मोठ पर गठित पुलिस टीमों व फोरेन्सिक टीम, डॉग स्क्वाड को हत्या के सफल अनावरण एवं साक्ष्य संकलन हेतु लगाया गया।

घटना का विवरण:-

दिनांक 16.06.2022 को वादी श्री हर लाल पुत्र निवासी मो0 नेहरु नगर कस्बा व थाना मोठ जनपद झाँसी की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना मोठ पर मु0अ0सं0 133/2022 धारा 302 भा.द.वि. बनाम अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादी उपरोक्त के पुत्र रवि अहिरवार उम्र करीब 28 वर्ष की चाकू से वार कर गला काटकर हत्या करने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

वादी मुकदमा से पूँछताछ करने व संकलित साक्ष्यों से यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त मोहित अहिरवार उर्फ बुल्लू पुत्र कैलाश नारायण अहिरवार निवासी मु0 नेहरु नगर कस्बा व थाना मोठ जनपद झाँसी मेहनत मजदूरी करके आपे चलाता है व अभियुक्त के पिता होमगार्ड के पद पर नौकरी करते हैं तथा 04

वर्ष पूर्व अभियुक्त उपरोक्त की शादी हो चुकी है। मुहल्ले नेहरू नगर कस्बा व थाना मोठ का रविकान्त अहिरवार पुत्र हरलाल अहिरवार का अभियुक्त के घर पर काफी आना जाना रहा है व रविकान्त अहिरवार के अभियुक्त की माँ श्रीमती गीता के साथ अवैध सम्बन्ध थे। अभियुक्त व अभियुक्त के पिता की अनुपस्थिति में रविकान्त अहिरवार अक्सर अभियुक्त के घर पर आता था। दिनांक 12.06.2022 की रात में जब अभियुक्त अपने घर में सो रहा था लगभग 01.15 बजे अभियुक्त को प्यास लगी और पानी पीने के लिये उठा तो उसने मृतक रविकान्त अहिरवार को अपनी माँ के साथ घर में आगे वाले कमरे में तखत पर देख लिया जिस पर अभियुक्त द्वारा आवेश में आकर पहले रविकान्त अहिरवार को लात घूँसो से मारा फिर उसे पकड़ कर उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की जिससे वह अचेत सा हो गया व क्रोध में आकर घर में रखे चाकू से रविकान्त अहिरवार का गला काट दिया और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद अभियुक्त द्वारा अपने कन्धे पर लादा और गली के बाहर सड़क पर गया तथा पास ही में पड़े कूड़े के ढेर से एक पैन्ट उठाकर रविकान्त के गले में लपेट दिया ताकि खून कम बहे। अभियुक्त द्वारा अपने घर से झाड़ियो तक रास्ते में पड़े खून के दाग रात ही में साफ कर दिये थे तथा खून से सने हुये कपड़ों को चूल्हे में जला दिये थे। अभियुक्त की निशादेही पर बरामद कर घटना का सफल अनावरण किया गया। साक्ष्य के आधार पर अभियोग में धारा 201भा.द.वि. की वृद्धि कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना स्थल:-

मु0 नेहरू नगर कस्बा व थाना मोठ जिला झाँसी

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

मोहित अहिरवार उर्फ बुल्लू पुत्र कैलाश नारायण अहिरवार निवासी मु0 नेहरू नगर कस्बा व थाना मोठ जनपद झाँसी उम्र करीब 24 वर्ष

अभियुक्त की गिरफ्तारी का समय व स्थान

दिनांक 17.06.2022 समय 22.40 बजे मोठ बाई पास झाँसी - कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग बहद कस्बा व थाना मोठ जिला झाँसी

आपराधिक इतिहास...

1. मु0अ0सं0 133/2022 धारा 302/201 भा0द0वि0 थाना मोठ जिला झाँसी

बरामदगी का विवरण:-

1. आलाकत्ल 01 अदद चाकू (छुरी)
2. जले हुए कपड़ों की राख

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार गुप्ता थाना मोठ जनपद झाँसी
2. उ0नि0 श्री विनित कुमार थाना मोठ जनपद झाँसी
3. का0 1287 शिवापाल थाना मोठ जिला झाँसी
4. का0 303 प्रदीप कुशवाहा थाना मोठ जिला झाँसी